न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर.

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी निग - 4055 - I - 15

देवेन्द्र सिंह पुत्र दशरथ सिंह, जाति बघेल, निवासी ग्राम आनन्दपर, तहसील लटेरी, जिला विदिशा म0प्र0

-- आवेदक

बनाम

मध्य प्रदेश शासन

-- आवेदक

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 10.11.2015 न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 13/आर.बी./12/15-16 से दुखित होकर।</u>

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-</u>

1. यहकि, आवेदक के कब्जे की भूमि ग्राम पंचायत, आनंदपुर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम आनदपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 636 रकवा 0.278 हैक्टेयर यह काबिल कास्त को हाट बाजार हेतु आरक्षित किया गया है।
2. यहकि, उक्त प्रयोजन हेतु ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक को काबिज होने के उपरांत जानबूझकर गलत ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 06 दिनांक 29.05.2015 प्रस्तुत किया, जिसमें आवेदक को सूचना व सुनवाई का विधिवत अवसर नहीं दिया गया, जिसके कारण आवेक की स्वामित्व की भूमियों पर आने जाने का रास्ता पूर्णतः प्रभावित हो रहा है।
3. यहकि, अक्स आबंटित भूमि के अलावा भू अन्य शासकीय भूमि खाली है किन्तु जानबूझकर आवेदक के पास स्थित भूमि पर ग्राम पंचायल द्वारा ठहराव प्रस्ताव पारित किया गया है, जबकि आवेदक उक्त भूमि पर पूर्ण रूप से आश्रित है।

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 4055/I/2015 निगरानी जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-7-2016	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एस.धाकड़ द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 13/बी-121/15-16 में पारित आदेश दिनांक 19-11-2015 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता-1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम पंचायत आनंदपुर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम आनंदपुर स्थित खसरा कमांक 636 रकवा 0.278 हैक्टर भूमि को हाट बाजार निर्माण हेतु आरक्षित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर से प्र0क0 8/बी-121/15-16 दर्ज किया जाकर, ग्राम में उद्धोषणा का प्रकाशन किया गया। ग्राम पंचायत आनंदपुर द्वारा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव ठहराव कमांक 06 दिनांक 29-5-15 प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ग्राम आनंदपुर बस्ती से लगी हुई भूमि सर्वे कमांक 636 रकवा 0.278 हैक्टर भूमि हाट बाजार निर्माण हेतु नोईयत परिवर्तन किये जाने हेतु निर्णय लिया गया। अपत्तिकर्ता धनराज सिंह पुत्र हरगोविन्द सिंह एंव देवेन्द्र सिंह पुत्र दशरथ सिंह बघेल द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई कि उक्त भूमि उनके कब्जे की है। हाट बाजार के निर्माण से आपत्तिकर्ता के धर आने जाने का रास्ता नहीं बचेगा। आपत्तिकर्ता की आपत्ति के	

आधार पर हल्का पटवारी से स्थल प्रतिवेदन लिया गया। पटवारी हल्का द्वारा प्रतिवेदन पेश किया कि, ग्राम पंचायत आनंदपुर में हाट बाजार निर्माणर हेतु ग्राम आनंदपुर स्थित भूमि खसरा कमांक 636 रकवा 0.278 हैक्टर मद का0का0 के नाम से राजस्व अभिलेख में अंकित है जावती रोड पर ग्राम से लगी हुई है को हाट बाजार हेतु चिन्हित किया है हाट बाजार निर्माण हेतु नोईयत परिवर्तन कर आवंटित किया जाना उपयुक्त है उक्त प्रतिवेदन के आधार पर आपत्तिकर्ता की आपत्ति निरस्त की जाकर, दिनांक 31–10–15 को प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर की आरे प्रेषित किया गया। अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण 13/बी–121/15–16 में दर्ज किया जाकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा–52 सहपठित धारा 32 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 आदेश दिनांक 19–11–15 पारित कर निरस्त किया गया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

4/ निगरानी मेमो के तथ्यों एंव उभयपक्षों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया, एंव प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि, आवेदक के कब्जे की भूमि ग्राम आनंदपुर स्थित भूमि खसरा कमांक 636 रकवा 0.278 हैक्टर मद काविल कास्त को हाट बाजार निर्माण हेतु आरक्षित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा आवेदक के विरूद्ध की गई सम्पूर्ण कार्यवाही ग्राम पंचायत आनंदपुर द्वारा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव ठहराव कमांक 06 दिनांक 29–5–15 के आधार पर की गई है उक्त प्रस्ताव ठहराव

पारित करते समय पंचो व उपसरंपच की उपस्थिति के बगैर केवल सचिव द्वारा अवैधानिक रूप से ग्राम पंचायत आनंदपुर द्वारा प्रस्ताव ठहराव पारित किया गया है जिस समय प्रस्ताव ठहराव पारित किया गया था उस समय मानक संख्या में ग्राम पंचायत के पंच, उपसरपंच एंव सदस्य उपस्थित नहीं थें। इस कारण प्रस्ताव ठहराव दिनांक 29–5–15 अवैधानिक होने से उस के आधार पर की गई अधीनस्थ न्यायालयो की कार्यवाही स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर, नायब तहसीलदार, लटेरी विदिशा के प्रकरण कमांक 8/बी–121/15–16 में पारित आदेश दिनांक 31–10–15 एंव अपर कलेक्टर, जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 13/बी–121/15–15 में पारित आदेश दिनांक 19–11–15 निरस्त किये जाकर, प्रकरण तहसीलदार लटेरी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि यदि आवेदक व्यवस्थापन की पात्रता रखता हो तो विधिवत जॉच की जाकर आदेश पारित करें।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर